रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 1 मई, 1976

वैशाख 11, 1898 शक् सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग--1

संख्या 1733/17-वि0—1-48-76

लखनऊ, 1 मई, 1976 ई0

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 30 अप्रैल, 1976 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1976)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 का उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 27 नवम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा।

अधिनियम संख्या 9, 1910 की धारा 6 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 6 की उपधारा (1) म, शब्द "एक वर्ष" के स्थान पर शब्द "ग्यारह मास" रखे जायंगे और सदैव से रख गये समझे जायंगे।

नई धारा 6-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ाई जायगी, अर्थात्:—

अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण और उपक्रम का अर्जन

"6-क—(1) इस धारा में 'नियत दिन' से स्थानीय प्राधिकारियों से भिन्न अनुज्ञप्तिधारियों के सम्बन्ध में 1 दिसम्बर, 1975 अभिप्रेत है, और स्थानीय प्राधिकारियों के, जो अनुज्ञप्तिधारी हैं, संबंध में ऐसी तारीख अभिप्रेत है जिसे राज्य सरकार उस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, और ऐसे भिन्न-भिन्न उपक्रमों के लिये भिन्न-भिन्न तारीख विनिर्दिष्ट की जा सकेगी।

(2) धारा 4, 4-क, 5 तथा 6 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक उपक्रम की अनुज्ञप्ति, जब तक कि भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रतिसंहृत न कर दी गयी हो, नियत दिन से प्रतिसंहृत हो जायगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण पर निम्नलिखित उपबन्ध प्रभावी होंगे, अर्थात्—

(क) प्रत्येक उपक्रम, जिसके सम्बन्ध में अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत हो गई है, इस धारा के फलस्वरूप राज्य विद्युत् बोर्ड को, जिसे आगे इस धारा में 'बोर्ड' कहा गया है, अन्तरित हो जायगा और अन्तरित हुआ समझा जायगा और बोर्ड में किसी ऋण, बन्धक या अनुज्ञप्तिधारी की उपक्रम से संलग्न वैसी ही बाध्यता से मुक्त रूप में निहित हो जायगा और निहित हुआ समझा जायगा :

परन्तु ऐसा कोई ऋण, बन्धक या वैसी बाध्यता उपक्रम के लिए संदेय रकम से संलग्न हो जायगी जैसा कि खण्ड (ज) में उल्लिखित है ;

(ख) अनुज्ञप्तिधारी की अपनी अनुज्ञप्ति के अधीन अधिकार, शक्ति, प्राधिकार, कर्त्तव्य और बाध्यताएं बोर्ड को अन्तरित हो जायेंगी और अनुज्ञप्ति आगे प्रवर्तनशील न रहेगी;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी उपक्रम को, बोर्ड को या ऐसे अधिकारी को जिसे बोर्ड उस निमित्त नियुक्त करे, तुरन्त परिदत्त करेगा, और यदि कोई सम्पत्ति या आस्ति, लेखा-बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज जो उपक्रम का भाग हो, और अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हो तो उसे ऐसा व्यक्ति भी बोर्ड या ऐसे उपर्युक्त अधिकारी को परिदत्त करेगा ;

(घ) बोर्ड इस धारा के अधीन कब्जे में ली गई समस्त सम्पत्तियों, आस्तियों, लेखा-बहियों, रजिस्टरों और दस्तावेजों की एक तालिका यथासाध्य अनुज्ञप्तिधारी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में तैयार करेगा;

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी या, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी से भिन्न कोई व्यक्ति, उपक्रम में समाविष्ट समस्त सम्पत्ति और आस्ति और किसी लेखा-बही, रजिस्टर या दस्तावेज के लिए भी, जिसे वह खंड (ग) के अधीन बोर्ड को परिदत्त करने में असफल रहा है, हिसाब देने का उत्तरदायी होगा;

(च) प्रत्येक उपक्रम का स्वामी नियत दिन से साठ दिन के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जैसा बोर्ड उस निमित्त अनुज्ञा दे, बोर्ड को या ऐसे अधिकारी को जिसे बोर्ड विनिर्दिष्ट करे, उपक्रम की प्रतिभूति पर उपगत और नियत दिन को अस्तित्वयुक्त समस्त दायित्वों और बाध्यताओं की, और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त उपक्रम के समस्त करार और अन्य लिखतों (जिसके अन्तर्गत करार, डिक्री, पंचाट, स्थायी आदेश और उपक्रम में नियोजित किसी व्यक्ति की छुट्टी, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और सेवा के अन्य निबन्धन भी हैं) की भी पूर्ण विशिष्टियां प्रस्तुत करेगा और बोर्ड इसके लिए उसे समस्त युक्तियुक्त सुविधायें देगा;

(छ) नियत दिन के ठीक पूर्व उपक्रम में कार्यरत कर्मचारिवर्ग निम्नलिखित उपबन्धों से शासित होंगे:—

(i) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पूर्व अनुज्ञप्तिधारी के नियोजन में रहा हो, नियत दिन को और नियत दिन से उन्हीं शर्तों और निबन्धनों पर और पेंशन, उपदान और अन्य विषयों के संबंध में उन्हीं अधिकारों के साथ बोर्ड का कर्मचारी हो जायगा जो उसे अनुमन्य होता यदि उपक्रम बोर्ड को अन्तरित और उसमें निहित न किया गया होता और वह इस प्रकार तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका नियोजन बोर्ड से समाप्त न कर दिया जाय या जब तक कि उसका पारिश्रमिक या नियोजन के अन्य शर्त और निबन्धन बोर्ड द्वारा यथाविधि परिवर्तित न कर दिये जायं :

परन्तु बोर्ड नियत दिन के ठीक पूर्ववर्ती एक वर्ष की अवधि के भीतर की गयी सभी नियुक्तियों या कर्मचारियों को मजदूरी या वेतन में दी गयी वृद्धि की वास्तविकता का पुनर्विलोकन करने के लिये किसी अधिकारी या समिति को नियुक्त

कर सकेगा, और यदि किसी ऐसे अधिकारी या समिति की रिपोर्ट और किसी अभ्यावेदन पर जो प्रभावित व्यक्तियों से उस निमित्त प्राप्त हो, विचार करने के पश्चात् की गई कोई नियुक्ति या दी गई कोई वेतन वृद्धि बोर्ड को यथार्थ प्रतीत न हो तो वह, यथास्थिति, ऐसे कर्मचारी की सेवा को समाप्त या वेतन वृद्धि को रद्द कर सकेगा :

परन्तु यह और कि पुनर्विलोकन करने वाले अधिकारी अथवा समिति, जैसी भी दशा हो, के निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति बोर्ड को अपील कर सकेगा और बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा ;

(ii) बोर्ड किसी अधिकारी या समिति को उपखंड (i) के अधीन अनुज्ञप्तिधारी से लिये गये कर्मचारियों के, उनकी अर्हता, अनुभव और वर्तमान मजदूरी या वेतन और बोर्ड में उनके समान कर्मचारियों की मजदूरी या वेतन के ढांचे को ध्यान में रखकर बोर्ड की मजदूरी या वेतन के मान-क्रम में उपयुक्तीकरण के प्रयोजनार्थ नियुक्त कर सकेगा;

संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 28, 1947 ई०

(iii) संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् 1947 ई० या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उप-खंड (i) के अधीन बोर्ड में किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से ऐसा कोई कर्मचारी उस ऐक्ट या अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार न होगा और किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई भी दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा;

संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 28, 1947 ई०

(iv) शंकाओं के परिवर्जन के लिये एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि उपखंड (iii) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि इससे किसी कर्मचारी द्वारा, जिसकी सेवा उप खंड (i) के अधीन समाप्त की गई हो, संयुक्त प्रान्त औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट सन् 1947 ई० की धारा 6-ढ और 6-ण के अधीन अनुज्ञप्तिधारी से यदि ग्राह्य हो तो प्रतिकर का दावा करने के अधिकार पर प्रभाव पड़ता है;

(ज) बोर्ड धारा 7-क के उपबन्धों के अनुसार अवधारित रकम अनुज्ञप्तिधारी को संदत्त करेगा :

परन्तु अनुज्ञप्तिधारी नियत दिन से उक्त रकम के संदान की तारीख तक की कालावधि के लिये उस पर उक्त रकम के अतिरिक्त नियत दिन को अभिभावी रिजर्व बैंक दर पर और एक प्रतिशत ब्याज का हकदार होगा ।"

धारा 7 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में, शब्द "उपक्रम राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा क्रय किया जाये" तथा शब्द "और" के बीच में शब्द, अंक तथा अक्षर "या धारा 6-क के अधीन अर्जित किया जाये" रखे जायेंगे ।

धारा 7-क का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 7-क में,--

(i) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 6 के अधीन क्रय" के पश्चात् शब्द, अंक तथा अक्षर "या धारा 6-क के अधीन अर्जित" रखे जायेंगे;

(ii) उपधारा (2) में--

(क) खण्ड (1) में, शब्द तथा कोष्ठक "(जिसके अन्तर्गत ऐसे संकर्म नहीं हैं जिनके लिए उपभोक्ताओं द्वारा संदाय कर दिया गया हो)" के स्थान पर शब्द तथा कोष्ठक "(जिसके अन्तर्गत ऐसे संकर्म नहीं हैं जो मार्ग पर प्रकाश करने के लिए स्थानीय निकायों के खर्च पर निर्मित हैं और ऐसे संकर्म नहीं हैं जिनके लिए उपभोक्ताओं द्वारा संदाय कर दिया गया हो)" रखे जायेंगे और दिनांक 4 फरवरी, 1975 से रखे गये समझे जायेंगे;

(ख) खण्ड (4) में, शब्द और अंक "धारा 7" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर "धारा 6-क या धारा 7" रखे जायेंगे;

(iii) उपधारा (3) में, शब्द तथा अंक "धारा 6 के अधीन अनिवार्य क्रय" के पश्चात् शब्द, अंक तथा अक्षर "या धारा 6-क के अधीन अर्जन" रखे जायेंगे;

(iv) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी और 4 फरवरी, 1975 से रखी गई समझी जायगी, अर्थात्:--

"(8) जहां अनुज्ञप्तिधारी को संदेय कुल रकम--

(क) इस धारा के अधीन कटौती की जाने वाली कुल रकम के बराबर हो, वहां क्रेता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को कोई संदाय नहीं किया जायगा;

(ख) इस धारा के अधीन कटौती की जाने वाली कुल रकम से कम हो, वहां इस प्रकार संदेय कुल रकम और कटौती की जाने वाली कुल रकम का अन्तर विशेष अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।" ;

(v) उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ाई जायगी और 4 फरवरी, 1975 से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात्:--

"(9) जहां कोई ऐसी रकम जो क्रेता की न हो, उपधारा (5) के खण्ड (ग), खण्ड (ङ), खण्ड (च) या खण्ड (छ) के अधीन उसके द्वारा काटी गई हो या उपधारा (8) के अधीन वसूल की गई हो, वहां अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व, यथास्थिति, राज्य सरकार या अन्य निकायों या उपभोक्ताओं या भावी उपभोक्ताओं के प्रति इस प्रकार की गई कटौती और वसूली की सीमा तक उन्मोचित हो जायगा और अनुज्ञप्तिधारी के स्थान पर क्रेता उस सीमा तक उनके प्रति उत्तरदायी हो जायगा।"

धारा 7-क का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 7-क में,--

(i) उपधारा (1) में शब्द, कोष्ठक तथा अंक "धारा 6 की उपधारा (6)" के पश्चात् शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "या धारा 6-क की उपधारा (3) के खण्ड (ग)" रखे जायेंगे, और

(ii) उपधारा (2) में, शब्द तथा अंक "धारा 7 के उपबन्ध" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर "यथास्थिति, धारा 6-क या धारा 7 के उपबन्ध" रखे जायें।

धारा 42-क का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 42-क में, शब्द "धारा 6 की उपधारा (6-क)" और शब्द "के किसी उपबन्ध का" के बीच में शब्द "या धारा 6-क" रखे जायेंगे।

धारा 42-कक का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 42-कक के खण्ड (क) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "धारा 6 की उपधारा (6)" के पश्चात् शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "या धारा 6-क की उपधारा (2) के खण्ड (ग)" रखे जायेंगे।

बचाव

9--किसी न्यायालय या प्राधिकारी के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन किया गया या किया हुआ तात्पर्यित कोई कार्य या की गई या की हुई तात्पर्यित कोई कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत, विशिष्टतः, उसकी धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई सूचना की कालावधि भी है, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उसी प्रकार विधिमान्य समझी जायगी और सदैव विधिमान्य होगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे, और तद्नुसार किसी अनुज्ञप्तिधारी को उक्त धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई ग्यारह मास से अन्यून की सूचना विधिमान्य होगी और सदैव विधिमान्यतः दी गई समझी जायगी।

निरसन और अपवाद

10--(1) भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन या उपधारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश द्वारा भारतीय विद्युत् (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

No. 1733/XVII-V-1—48-76

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Bharitya Vidyut (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhiniyam, 1976, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 14 of 1975) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 30, 1976.

THE INDIAN ELECTRICITY (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ACT, 1976

[U. P. Act No. 14 of 1976]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to amend the Indian Electricity Act, 1910 in its application to Uttar Pradesh:

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India, as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Indian Electricity (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1976.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(3) It shall be deemed to have come into force on November 27, 1975.

Amendment of section 6 of Act IX of 1910.

2. In section 6 of the Indian Electricity Act, 1910, as amended in its application to Uttar Pradesh, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "one year", the words "eleven months" shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted.*

Insertion of new section 6-A

3. *After* section 6 of the principal Act, the following section shall be *inserted,* namely :—

Revocation of licences and acquisition of undertaking.

"6-A. (1) In this section 'appointed day' means in relation to licensees other than local authorities, December 1, 1975 and in relation to local authorities being licensees, such date as may be specified by the State Government by notification in that behalf, and different dates may be specified for different such undertakings.

(2) Notwithstanding anything contained in sections 4, 4-A, 5 and 6, the licence of every undertaking, unless revoked before the commencement of the Indian Electricity (Uttar Pradesh Second Amendment) Ordinance, 1975, shall stand revoked with effect from the appointed day.

(3) On revocation of the licence under sub-section (2), the following provisions shall have effect, namely :—

(*a*) Every undertaking the licence in respect of which stands revoked shall by virtue of this section stand and be deemed to have stood transferred to and vest and be deemed to have vested in the State Electricity Board, hereinafter in this section called 'the Board', free from any debt, mortgage or similar obligation of the licensee attaching to the undertaking :

Provided that any such debt, mortgage or similar obligation shall attach to the amount payable for the undertaking as mentioned in clause (*h*) ;

(*b*) the rights, powers, authorities, duties and obligations of the licensee under his licence shall stand transferred to the Board and the licence shall cease to have further operation ;

(*c*) the licensee shall deliver forthwith the undertaking to the Board or to such officer as the Board may appoint in that behalf, and if any property or asset, book of account, register or other document forming part of the undertaking be in the possession, custody or control of any person other than a licensee, such person shall also deliver the same to the Board or to such officer as aforesaid ;

(*d*) the Board shall prepare an inventory of all properties, assets, books of account, registers and documents taken possession of under this section, as far as practicable, in the presence of the licensee or his authorised representative ;

(e) the licensee or any person other than a licensee, as the case may be, shall be liable to account to the Board for all property and assets and also for any books of account, registers or documents comprised in the undertaking which he has failed to deliver to the Board under clause (c);

(f) the owner of every undertaking shall within sixty days from the appointed day or within such further time as the Board may allow in that behalf, furnish to the Board or to such Officer as the Board may specify, complete particulars of all liabilities and obligations incurred on the security of the undertaking and subsisting on the appointed day, and also of all agreement and other instruments pertaining to the undertaking (including agreement, decrees, awards, standing orders and other instruments relating to leave, pension, gratuity, provident fund and other terms of service of any person employed in the undertaking) in force immediately before the appointed day and the Board shall afford him all reasonable facilities for the same ;

(g) the following provisions shall govern the working in the undertaking immediately before the appointed day :—

(i) Every person who has been immediately before the appointed day in the employment of the licensee shall become on and from the appointed day an employee of the Board on the same terms and conditions and with the same rights as to pension, gratuity and other matters as would have been admissible to him if the undertaking had not been transferred to and vested in the Board and continue to do so unless and until his employment under the Board is terminated or until his remuneration or other terms and conditions of employment are duly altered by the Board :

Provided that the Board may appoint an officer or Committee to review the genuineness of all appointments made or increments of wages or salary given to the employees within the period of one year immediately preceding the appointed day, and if after considering the report of any such officer or committee and any representations that may be received in that behalf from the persons affected, an appointment made or increment given does not appear to the Board to be genuine it may terminate the services of such employee or cancel the increment as the case may be :

Provided further that any person aggrieved by the decision of the reviewing officer or the committee, as the case may be, may appeal to the Board whose decision shall be final ;

(ii) The Board may appoint an officer or Committee for the purpose of fitment of the employees taken over from the licensee under sub-clause (i) in the scales of wages or salary of the Board having regard to the qualifications, experience and existing wages or salary of such employees and the wages or salary structure of comparable employees in the Board ;

(iii) Notwithstanding anything contained in the U. P. Industrial Disputes Act, 1947, or in any other law for the time being in force, the transfer of any employee to the Board under sub-clause (i) shall not entitle any such employee to any compensation under that Act or any other law and no claim shall be entertained by any court, tribunal or other authority ;

(iv) For the avoidance of doubts it is hereby declared that nothing in sub-clause (iii) shall be construed to affect the right of any employee whose services are terminated under sub-clause (i) to claim compensation, if admissible, from the licensee under sections 6-N and 6-O of the U. P. Industrial Disputes Act, 1947 ;

(*h*) the Board shall pay to the licensee an amount determined in accordance with the provisions of section 7-A :

Provided that the licensee shall in addition to the said amount, be entitled to interest thereon at the Reserve Bank rate ruling at the appointed day plus one per centum for the period from the appointed day to the date of payment of the said amount."

Amendment of section 7.

4. In section 7 of the principal Act, in sub-section (2), *between* the words undertaking is purchased by the State Electricity Board" and "and" the words, figure and letter "or acquired under section 6-A" shall be *inserted*.

Amendment of section 7-A.

5. In section 7-A of the principal Act—

(i) in sub-section (1), *after* the word and figure "section 6", the words, figure and letter "or acquired under section 6-A" shall be *inserted*;

(ii) in sub-section (2)—

(*a*) in clause (i) *for* the words and brackets "(excluding works paid for by consumers)", the words and brackets "(excluding works constructed at the cost of local bodies for street lighting and works paid for by consumers)" shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* with effect from February 4, 1975;

(*b*) in clause (iv) *for* the word and figure "section 7", the words, figures and letter "section 6-A or section 7" shall be *substituted*;

(iii) in sub-section (3), *after* the words and figure "purchase under section 6", the words, figures and the letter "or acquisition under section 6-A" shall be *inserted*;

(iv) *for* sub-section (8), the following sub-section shall be *substituted* and be deemed to have been *substituted* from February 4, 1975, namely :—

"(8) Where the gross amount payable to the licensee is—

(*a*) equal to the total amount to be deducted under this section, no payment shall be made to the licensee by the purchaser ;

(*b*) less than the total amount to be deducted under this section, the difference between the gross amount so payable and the total amount to be deducted shall on a certificate of the Special Officer be recoverable as arrears of land revenue." ;

(v) *after* sub-section (8), the following sub-section shall be *inserted* and be deemed to have been *inserted* from February 4, 1975, namely :—

"(9) Where any amounts not belonging to it have been deducted by the purchaser under clause (*c*), clause (*e*), clause (*f*) or clause (*g*) of sub-section (5) or recovered under sub-section (8), the liability of the licensee towards the State Government or other bodies or consumers or prospective consumers, as the case may be, shall, to the extent of the deduction and recoveries so made, stand discharged and the purchaser shall in substitution of the licensee become liable towards them to that extent."

Amendment of section 7-AA.

6. In section 7-AA of the principal Act—

(i) in sub-section (1), *after* the words, brackets and figures "under sub-section (6) of section 6", the words, figures, letters and brackets "or clause (*c*) of sub-section (3) of section 6-A" shall be *inserted*; and

(ii) in sub-section (2), *for* the words and figure "provisions of section 7", the words, figures and letter "provisions of section 6-A or section 7, as the case may be", shall be *substituted*.

Amendment of section 42-A.

7. In section 42-A of the principal Act, *between* the words "any of the ons of sub-section (6-A) of section 6" and "or who in any inventory" the or section 6-A" shall be *inserted*.

Amendment of section 42-AA.

8. In section 42-AA of the principal Act in clause (*a*), after the words, and figures "under sub-section (6) of section 6", the words, figures, letters kets "or clause (*c*) of sub-section (2) of section 6-A" shall be *inserted*.

Validation.

9. Notwithstanding anything contained in any judgment, decree or order of any court or other authority to the contrary, anything done or purporting to have been done and any action taken or purporting to have been taken under any provision of the principal Act before the commencement of this Act, including, in particular, the period of notice issued under sub-section (1) of section 6 thereof shall, subject to the provisions of the principal Act as amended by this Act, be deemed to be and always to have been as valid as if the provisions of this Act were in force at all material times, and accordingly, any notice issued under sub-section (1) of the said section 6 to a licensee of not less than eleven months shall be valid and be deemed always to have been validly given.

Repeal and savings.

10. (1) The Indian Electricity (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1976, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal or the repeal of the Indian Electricity (Uttar Pradesh Second Amendment) Ordinance, 1975, by the Ordinance mentioned in sub-section (1), anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinances, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

आयुक्त एवं सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 53 सा० (विधा०)—1976—7·50 (मे०)